

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"96क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न; श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जो प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए हो, से भिन्न" प्रति स्थापित की जाएगी।

(ii) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"25क	2207 10 12	औद्योगिक उपयोग के लिए स्पिरिट";

(ग) अनुसूची IV में- 14%, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 17/2023-Central Tax (Rate)

G.S.R. 774(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

- In the said notification, -
 (A) in Schedule I – 2.5%, -
 (i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“92A.	1703	Molasses”;

- (ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“96A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled”;

- (B) in Schedule III – 9%,
 (i) against S. No. 13, in column (3), for the words and figures “of heading 1905”, the words and figures “of heading 1905; food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, pre-packaged and labelled ” shall be substituted;
 (ii) after S. No. 25 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“25A.	2207 10 12	Spirits for industrial use”;

- (C) in Schedule IV – 14%, S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note:-The principal notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 11/2023– Central Tax (Rate), dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 711(E), dated the 29th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 20/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 775(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची I में- 5%,-